№ 018804

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21; 1860)

संख्या 2451.

वर्ष 2011-12.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "मनोहर चौधरी मिमल" ग्राम+पो०- देसरी, (गाजीपुर रोड) को-ऑपरेटिव भवन के नजदीक, जिला- वैशाली (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख [illegible] मास [illegible] वर्ष [illegible] को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन), 1 —II—10,000—8-5-2010—

पत्र संख्या-बी० एस०[3]-10.31.81.../2011-3245

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

"मनोहर चौधरी निगम"

जिला- वैशाली।

पटना, दिनांक- 21/11/11

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल / निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/-(पचास रूपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

16/11/11

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार (सचिव)
"मनोहर चौधरी निगम"
ग्राम+पो०- चेतरी (गाजीपुर रोड) को-ऑपरेटिव भवन के नजदीक, जिला- वैशाली (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या.................दिनांक.................के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

16/11/11

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

मनोहर चौधरी विमल

का स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : **मनोहर चौधरी विमल**
2. निबंधित कार्यालय : ग्रा0+पो0-देसरी (गाजीपुर रोड)को-ऑपरेटिव भवन के नजदीक जिला-वैशाली (बिहार)।
3. कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

(i) संस्था का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों एवं नवयुवतियों के विकास में इस तरह योगदान करना है कि जिससे युवाओं का पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अनन्त शक्तियों की उपलब्धि हो ताकि वे गांव, समाज एवं देश के लिए जिम्मेवार नागरिक सिद्ध हो सके।

(ii) गरीब एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोण से छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन करना।

(iii) राष्ट्रीय मुक्तविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के सहयोग से एकेडमीक शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, पर्यावरण प्रबंधन शिक्षा, ग्रामीण प्रबंधन शिक्षा, व्यवसायिक प्रबंधन शिक्षा, स्वास्थय प्रबंधन शिक्षा जैसे एक्स-रे, पैथोलॉजी ट्रेनिंग आदि के विकास, प्रचार-प्रसार एवं इसे अति सुलभ बनाने के लिए संविधान के अन्तर्गत रहते हुए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन करना।

(iv) अनाथ बच्चे, बाल अधिकार के स्थापना हेतु श्रमिक, बन्धुआ मजदूर, घूमक्कड़ बच्चे - बच्चियों, शोषित बच्चे-बच्चियों के उत्थान, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास आदि का व्यवस्था करना तथा बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम, बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु कार्य करना।

(v) हस्तशिल्पीयों के हस्तकला, ललितकला, नाट्य कला, संगीत कला, जूट, पटशन एवं अन्य संबंधित कलात्मक एवं परम्परागत कला के आधुनिक एवं विकसित तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पादन, विपणन पुनर्वास की व्यवस्था एवं संचालन करना।

(vi) समाज को नयी दिशा, नए-नए आविष्कारों एवं युवा कार्यक्रमों की गतिविधियों से अवगत कराने हेतु पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

(vii) पिछड़े एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुख-कम्प्यूटर, टाईपराटिंग, आशुलिपि एवं अन्य तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण देना एवं प्रोत्साहित करना।

(viii) महिलाओं के विपन्नता दूर कर आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन, एप्लीक का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार की व्यवस्था कराना।

(ix) स्वरोजगार के ही दृष्टिकोण से पुरूष-महिलाओं को गौ-पालन, बकरी-पालन, मूर्गी-पालन, मछली-पालन, सुअर-पालन की प्रशिक्षण देना एवं अपने स्तर से उन्नत नस्ल के पशुओं को उपलब्ध कराना।

(x) वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और गाँव-गाँव में पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण कराना एवं लोगों को पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

(xi) कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन के बारे में प्रशिक्षण देना एवं उपलब्ध कराना।

(xii) एड्स के बढ़ते कुप्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु एड्स परामर्श केन्द्र की स्थापना करना एवं प्रचार-प्रसार कर इसकी रोकथाम की व्यवस्था करना।

(xiii) हेपटाइटिस की रोकथाम करने हेतु टीकाकरण की व्यवस्था कराना।

(xiv) समाज में बढ़ते हुए नशा एवं कुरीतियों को दूर करने हेतु नाटक, प्रहसन, नुक्कर नाटक का आयोजन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों से होनेवाली क्षति को बताना व दूर करने का प्रयास कराना।

(xv) मनोरंजन की दृष्टिकोण से सांस्कृतिक कार्यक्रम करना एवं भारतीय संस्कृति से अवगत कराना।

(xvi) कला के विकास के लिए वाद्य-यंत्र, संगीत, गायन, नृत्य का प्रशिक्षण देकर कलाकार में छिपे हुए प्रतिभा को उभारकर पटल पर लाना।

(xvii) सामाजिक सौहार्द के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देना एवं हर तरफ हर तरह की वैमनस्यता को दूर करने हेतु ठोस पहल करना।

(xviii) प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सुखाड़, महामारी से पीड़ित लोगों के बीच राहत सामग्री बाँटना एवं सेवा करना।

(xix) आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शाँति हेतु लोगों को अध्यात्म से जोड़ना एवं अध्यात्म केन्द्र का संचालन करना एवं भक्तिमय वातावरण बनाना।

(xx) शारीरिक मजबूती तथा स्वस्थ्यता हेतु योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना एवं प्रशिक्षण देना।

(xxi) कम्प्यूटर शिक्षा एवं तकनिकी विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के साथ इसके वैज्ञानिक एवं विकासात्मक पहलूओं की जानकारी प्राप्त कराना। साथ ही इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रशिक्षण, उत्पादन एवं विकासात्मक कार्य करना व कराना।

(xxii) मेधावी छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार, छात्रवृति एवं अनुदान देने हेतु कार्य करना या कराना जिससे मेधावी छात्र-छात्राओं का उज्ज्वल भविष्य अर्थाभाव के कारण धुमिल न हो।

(xxiii) जरूरतमंद छात्र-छात्राओं हेतु विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग क्लासेज, पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि का संचालन करना जिससे राष्ट्र के नवनिहालो को नई दिशा एवं प्रतिभा प्राप्त हो सके।

(xxiv) ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि का संचालन करना।

(xxv) अनाथ बच्चों, परित्यकता महिलाओं एवं वृद्धों के लिए आश्रय स्थल की स्थापना करना।

(xxvi) संस्था लोगों के आर्थिक विकास हेतु एक-दूसरे को क्रमबद्ध तरीके से मदद करने हेतु क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण करेगी।

(xxvii) जनहित में जनसहयोग अथवा सरकारी सहायता से संस्था सड़क, पुन-पुलिया, पुस्तकालय भवन, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन एवं अन्य निर्माण कार्य का संचालन करेगी।

(xxviii) लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षणोपरांत उद्यमियों का विकास कराना।

(xxix) समाज से जुड़े विषयों जैसे-नशापान, अपराध, बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, उपभोक्ता संरक्षण, एड्स आदि विषयों पर चल-चित्र का निर्माण करना एवं छवि गृहियों पर संचालन करना तथा उससे होने वाले क्षतियों को दर्शाना।

(xxx) विकलांग युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना।

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता का नाम, पता, पेशा एवं पद जो नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है :-

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वयं हस्ताक्षरित
1.	देवेन्द्र प्रसाद जयसवाल पिता-श्री किशोरीलाल चौ0	ग्रा0+पो0-देसरी जिला-वैशाली	व्यवसाय	अध्यक्ष	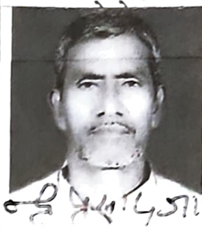
2.	अनिल कुमार पिता-श्री मनोहर चौधरी	ग्रा0+पो0-देसरी जिला-वैशाली	शिक्षण	सचिव	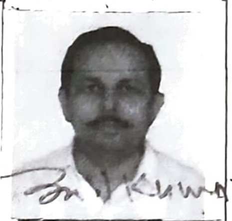
3.	उमाशंकर चौधरी पिता-स्व0 बाबूलाल चौधरी	ग्रा0+पो0-नयागांव जि0-वैशाली	कृषि	कोषा-ध्यक्ष	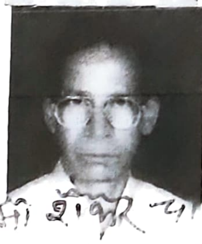
4.	ज्ञानवती जयसवाल पति-स्व0 महेशचन्द जयसवाल	ग्रा0+पो0-सरमस्तपुर जिला-वैशाली	समाजसेवा	सदस्य	
5.	ओम प्रकाश जयसवाल पिता-ज्योतिष प्र0 जयसवाल	ग्रा0+पो0-रानी पतरा जिला-पूर्णिया	व्यवसाय	सदस्य	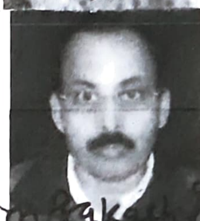
6.	नवीन कुमार पिता-श्री मदन चौधरी	ग्रा0+पो0-बड़कागांव जिला-मुजफ्फरपुर	व्यवसाय	सदस्य	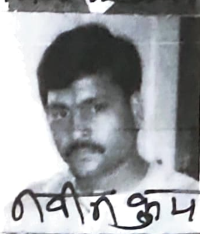
7.	मुन्नी चौधरी पति-श्री मोतीलाल चौधरी	ग्रा0+पो0-लालगंज जिला-वैशाली	समाजसेवा	सदस्य	

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति, पता, योग्यता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है इस संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार इस संस्था के रुप परिणत होने तथा सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं :-

क्र0	नाम, पिता / पति का नाम	पता	योग्यता	पेशा	फोटो एवं हस्ताक्षर
1.	देवेन्द्र प्रसाद जयसवाल पिता-श्री किशोरीलाल चौ0	ग्रा0+पो0-देसरी जिला-वैशाली	मैट्रिक	व्यवसाय	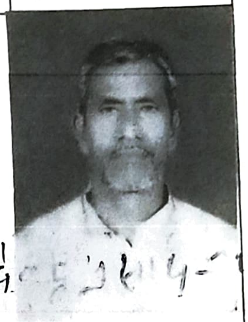 देवेन्द्र प्रसाद जायसवाल देवेन्द्र प्रसाद जायसवाल
2.	अनिल कुमार पिता-श्री मनोहर चौधरी	ग्रा0+पो0-देसरी जिला-वैशाली	बी.ए.	शिक्षण	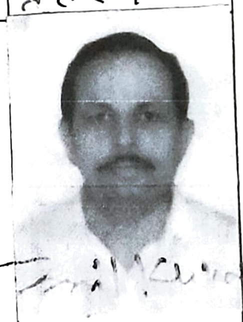 Anil Kumar Anil Kumar
3.	उमाशंकर चौधरी पिता-स्व0 बाबूलाल चौधरी	ग्रा0+पो0-नयागांव जि0-वैशाली	मैट्रिक	कृषि	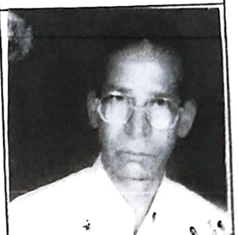 उमाशंकर चौधरी उमाशंकर चौधरी
4.	ज्ञानवती जयसवाल पति-स्व0 महेशचन्द जयसवाल	ग्रा0+पो0-सरमस्तपुर जिला-वैशाली	ननमैट्रिक	समाजसेवा	 ज्ञानवती जायसवाल ज्ञानवती जायसवाल

Anil Kumar

मिलान किया

क्र0	नाम, पिता / पति का नाम	पता	योग्यता	पेशा	फोटो एवं हस्ताक्षर
5.	ओम प्रकाश जयसवाल पिता–ज्योतिष प्र0 जयसवाल	ग्रा0+पो0–रानी पतरा जिला–पूर्णिया	इन्टर	व्यवसाय	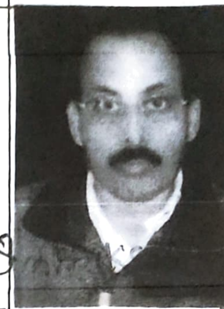 Om Prakash Jaiswal
6.	नवीन कुमार पिता–श्री मदन चौधरी	ग्रा0+पो0–बड़कागांव जिला–मुजफ्फरपुर	मैट्रिक	व्यवसाय	 नवीन कुमार
7.	मुन्नी चौधरी पति–श्री मोतीलाल चौधरी	ग्रा0+पो0–लालगंज जिला–वैशाली	मैट्रिक	समाजसेवा	 मुन्नी चौधरी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक सभी व्यक्ति ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये है, जिन्हें मै जानता एवं पहचानता हूँ ।

हस्ताक्षर – Surendra Pd. Sinha 15-10-11

नाम – सुरेन्द्र प्र0 सिन्हा

मुहर – Principal K. N. College, Hajipur (Vaishali)

मनोहर चौधरी विमल

की नियमावली

1. **परिभाषा :-**

(i) संस्था का अर्थ : **मनोहर चौधरी विमल**

(ii) समिति का अर्थ होगा : संस्था की कार्यकारिणी समिति।

(iii) पदाधिकारी का अर्थ होगा : अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष।

(iv) वर्ष से अभिप्राय होगा : 1 ली अप्रैल से 31 मार्च तक।

(v) एक्ट से अभिप्राय है : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860

2. **सदस्यता :-**

प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो, जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करते हों, वे इस संस्था का सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपया प्रवेश शुल्क 11/- मासिक शुल्क देना होगा।

3. **सदस्यता से विमुक्ति :-**

(i) स्वयं त्याग पत्र देने पर।

(ii) पागल या मृत्यु होने पर।

(iii) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

(iv) समिति से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।

(v) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

(vi) बिना कारण बताये समिति की लगातार पाँच बैठक में अनुपस्थित रहने पर।

(vii) आचरणहीन होने पर।

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

(i) कार्यकारिणी समिति ~~नौ~~ सात सदस्यों की होगी।

(ii) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा की जायेगी। निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है।

(iii) समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष की होगी।

(iv) अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिये उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोनित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा।

5. <u>कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य</u> :-

(i) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होंगे।

(ii) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना।

(iii) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

(iv) शाखा, उप-शाखा का गठन करना।

(v) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य :-

अध्यक्ष -

(i) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

(ii) आवश्यक पड़ने पर अपने निर्णायक मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना।

(iii) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना।

(iv) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

सचिव -

(i) बैठक का आयोजन करना।

(ii) प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना।

(iii) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

(iv) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करना।

(v) आवश्यकता पड़ने पर समिति की बिना पूर्व अनुमति के 1000/- रूपया तक व्यय करना।

(vi) कार्यकारिणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना।

(vii) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी पर लिखना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

(viii) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कार्य करना।

कोषाध्यक्ष -

(i) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना तथा सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

(ii) सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।

(iii) संस्था का कोष किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना।

7. <u>आम सभा **के अधिकार एवं कार्य**</u> :-

(i) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

(ii) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना।

(iii) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना।

8. **बैठक**

(i) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह में होगी।

(ii) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी।

(iii) आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

9. **अभियाचित बैठक :-**

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए। अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय को निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरांत बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10. **बैठक की सूचना :-**

कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी। आम बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी। अत्यावश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

11. **कोरम :-**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई होगा।

12. **आय का स्रोत :-**

(i) चंदा एवं दान।

(ii) प्रवेश एवं सदस्यता शुल्क।

(iii) गैरसरकारी संस्थान से प्राप्त अनुदान।

(iv) केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान।

(v) राज्य शासन से प्राप्त अनुदान।

(vi) सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों के परियोजना सम्पादन के उपरांत प्राप्त राशि।

(vii) देशी एवं विदेशी सहायता से प्राप्त अनुदान।

(viii) राष्ट्रीय एवं राजकीय संस्थानों से प्राप्त अनुदान।

(ix) सांस्कृतिक कार्यक्रम विडियों फिल्म, कठपुतली प्रदर्शन चलचित्र प्रदर्शन एवं अन्य निजी स्रोतों से प्राप्त आय।

(x) संस्थान द्वारा निर्मित वस्तुओं एवं अन्य सामग्री के विक्रय से प्राप्त लाभांश।

13. **कोष का संचालन :-**

(i) संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जाएगा।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से रकम की निकासी की जायेगी, जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

14. <u>निधि का अंकेक्षण</u> :-

संस्था की आय-व्यय का अंकेक्षण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रति वर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा।

निबंधक महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी।

15. <u>पंजी का निरीक्षण</u> :-

संस्था के सभी पंजियाँ निबंधन कार्यालय में रहेगा जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

16. <u>नियमावली में संशोधन</u> :-

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जा सकता है।

17. **<u>विघटन</u>** :-

(i) अगर किसी कारणवश संस्था कर विघटन करना पड़े तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

(ii) विघटन के उपरांत ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्य में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी।

(iii) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही हो सकेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है।

देवेन्द्र प्रसाद जायसवाल | उमाशंकर चौधरी | Anil Kumar

अध्यक्ष | *कोषाध्यक्ष* | *सचिव*

स्मृति-पत्र तथा नियमावली की सत्य प्रतिलिपि।

निबंधित

मिलान किया

[illegible]

का० नि० स०

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक- 10.09.2011 को **मनोहर चौधरी विमल** नामक संस्था के अध्यक्ष **श्री देवेन्द्र प्रसाद जयसवाल** की अध्यक्षता में एक आम सभा का अयोजन किया गया।

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था का निबंधन **सोसाईटीज** रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (21) के अन्तर्गत कराया जाए।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित सारी कार्रवाई सचिव **श्री अनिल कुमार**, को करने हेतु पदाधिकृत किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि है।

देवेन्द्र प्रसाद जायसवाल

अध्यक्ष,

Anil Kumar

सचिव,